उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1584 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　जबलपुर, दिनांक 12/04/2017

श्री मोहम्मद इकबाल अंसारी, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग [illegible] के आदेश क्रमांक 3 (बी) 07/13/21–ब(एक)/3855, भोपाल दिनांक [illegible] -02-2014 द्वारा [illegible] टेक्निकल असिस्टेन्ट (लायब्रेरी) के पद पर [illegible] रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200/- पर विभागीय परीक्षा में चयन उपरांत परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, नियुक्त करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर निम्न शर्तों की अधीन पदस्थ किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाना या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अतिरिक्त शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

6. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

7. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

8. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

10. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही/-
(पी. [illegible])
रजिस्ट्रार [illegible]
जबलपुर, दिनांक [illegible]

पृष्ठांकन क्रमांक C/1585/
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, [illegible] सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.),
4. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2 एवं 3/डी. ई./व्ही.एल./ई/पी.पी.एस. [illegible] ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति [illegible] मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु,
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर डी.डी.ओ.–रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001, एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि [illegible]
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
8. ओ.एस.डी. (सैट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
9. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. डिप्टी रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर,

13. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
14. अनुभाग अधिकारी लेखा / बजट / पेंशन / गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
15. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
16. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. सहायक स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
19. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
20. श्री मोहम्मद इकबाल अंसारी, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
21. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र.राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)